न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)
:: आदेश ::

क्रमांकः–39/अ–59/2017–18/ 660 बैतूल दिनांक 17/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत मिलानपुर द्वारा ग्राम ग्राम मिलानपुर स्थित खसरा नंबर 83 का मद परिवर्तन कर आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।

2– ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त) द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः–

(1)– मौजा मिलानपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.995 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 15–8–2016 आयोजित ग्राम सभा में, मौजा मिलानपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.995 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)– राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा मिलानपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.995 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद मे दर्ज है, तथा कालम नंबर 12 कैफियत में " मुरूम खदान व्यवस्था पी. डब्ल्यू.डी. विभाग" अंकित है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार मौजा मिलानपुर स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.995 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज है साथ ही मुरुम खदान व्यवस्था लोक कर्म विभाग की टीप भी अंकित है।

(4)– प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम का मकबूजा रकबा 100.647 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 11.389 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से 2.012 हेक्टेयर चरनोई का न्यूनतम रकबा उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है।

(5)– राजस्व अभिलेखो के अनुसार प्रश्नाधीन खसरा नंबर पर मुरूम खदान होकर लोक कर्म विभाग की व्यवस्था में होने की टीप अंकित होने के कारण नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त) द्वारा उक्त संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बैतूल से अनापत्ति मॉंगे जाने पर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के पत्र क्रमांकः–9337/ता. 38 बी/NOC दिनांक 1–11–2017 द्वारा सूचित किया गया है कि, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा परिसंपत्तियो भूमि/भवन एवं अन्य संपत्ति की अनुशंसा शासन की अनुमति के बिना नही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(6)– नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त) तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, प्रकरण इस न्यायालय में आगामी प्रस्तुत किया गया है।

(7)– कलेक्टर महोदय द्वारा विषयांकित के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बैतूल से दूरभाष पर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाकर, वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के पत्र क्रमांक– 216/ता., दिनांक 10–1–2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि, उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग के मद में दर्ज नहीं है, केवल मुरूम खनन हेतु विभाग को प्रदाय की गई थी, वर्तमान में इस खदान से मुरूम उत्खनन नहीं हो रहा है, तथा इस भूमि के आस पास बसाहट हो चुकी है। अतः मुरूम खदान बंद होने से तथा विभाग के उपयोग में न होने से उक्त भूमि के पद परिवर्तन से विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय अपर कलेक्टर * बैतूल (म.प्र.) *

3— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल की अनापत्ति के आधार पर, मौजा मिलानपुर प. ह. नं. 73 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.995 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:— 39/अ—59/2017—18/660 बैतूल दिनांक 17/01/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2— कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल की ओर सूचनार्थ।
3— तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
4— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
5— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
6— सचिव ग्राम पंचायत मिलानपुर जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.